



# उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड नवाइखेड़ा, गौलापार, हल्द्वानी (नैनीताल)

05946-240666, 240777  
E-Mail: [hedegreeplan@gmail.com](mailto:hedegreeplan@gmail.com)

पत्रांक: डिग्री प्लान / 2154 / 2021-22,  
सेवा में,

दिनांक: 24 अगस्त, 2021

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय/  
अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय उत्तराखण्ड।

**विषय: मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश सं० 869/XXIV-C-4/2021-25(09)/2021 दिनांक 12 अगस्त, 2021 एवं शासनादेश 923/XXIV-C-4/2021-25(09)/2021 दिनांक 13 अगस्त, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य के समस्त शासकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में महिला एवं बाल विकास विभाग के शासनादेश सं० 143/XVII(2)/2(म०क०)/2021 दिनांक 17 जून, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप 21 वर्ष की आयु तक के पात्र छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत विभागीय शासनादेश दिनांक 923/XXIV-C-4/2021-25(09)/2021 दिनांक 13 अगस्त, 2021 के अनुक्रम में अनुमन्य लाभ एवं सुविधाएं प्रदान की जानी है।

सूच्य है कि राज्य के समस्त शासकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में वर्तमान सत्र (2021-22) में नामांकन/प्रवेश आदि की प्रक्रिया गतिमान है अथवा निकट भविष्य में शुरू होना है। उक्त के क्रम में शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि आप अपने संस्थानों में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के समस्त शासनादेशों/निर्देशों/सूचनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु सूचना पट्ट पर चस्पा करने के साथ अन्य वांछित प्रयास (सोशल मीडिया/वेबसाइट आदि के माध्यम से) करते हुए छात्र-छात्राओं के मध्य अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे, जिससे पात्र छात्र-छात्राएं इसका लाभ ले सकें।

तदक्रम में अपेक्षित है कि ऐसे प्रभावित अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्राथमिकता प्रदान करेंगे। ऐसे पात्र अभ्यर्थी जिनका नाम बाल संरक्षण इकाई द्वारा जनपद स्तर पर प्रदत्त सूची में नाम हो, उनके अभिलेखों की पुष्टि (सहानुभूति पूर्वक) करते हुए उनको संस्था में प्रवेश प्रदान करेंगे, आवश्यक होने पर प्रवेश हेतु अतिरिक्त समय दिया जाय तथा ऐसे प्रवेशित छात्र-छात्रा के चिन्हीकरण हेतु प्रवेश पंजिका में पृथक कॉलम में 'मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना अंतर्गत प्रवेश' अवश्य अंकित करेंगे। बाल संरक्षण इकाई द्वारा जनपद स्तर पर प्रदत्त सूची में नाम होने की स्थिति में जनपद की सूची का क्रमांक अवश्य लिखेंगे।

ऐसे पात्र अभ्यर्थी जिनका नाम बाल संरक्षण इकाई द्वारा जनपद स्तर पर प्रदत्त सूची में नाम न होने की स्थिति में, उनके अभिलेखों की पुष्टि (सहानुभूति पूर्वक) करते हुए उन्हें प्रवेश हेतु अतिरिक्त समय प्रदान करेंगे तथा उनके वांछित संगत अभिलेखों को तैयार कर कर संबंधित उपजिलाधिकारी को सूचित करेंगे तथा ऐसे पात्र अभ्यर्थियों के समस्त वांछित विवरणों सहित समस्त सूचना जनपद नोडल अधिकारी के माध्यम से निदेशक उच्च शिक्षा ([hedegreeplan@gmail.com](mailto:hedegreeplan@gmail.com)) तथा नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना (उच्च शिक्षा), डॉ० दीपक कुमार पाण्डेय को ईमेल ([hevatsalya@gmail.com](mailto:hevatsalya@gmail.com)) के माध्यम से अवगत कराएंगे। ऐसे पात्र अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय प्रदान करते हुए, उनके लिए वह सीट आरक्षित मानी जाय, जब तक कि उनके द्वारा स्वयं प्रवेश लेने से मना न कर दिया जाय, जिस हेतु दूरभाष के माध्यम से समन्वय स्थापित कर शीघ्र निस्तारण किया जाय।

क्रमशः.....2/—

संस्था में किसी विषय/पाठ्यक्रम में सीट अनुपलब्धता की स्थिति में स्वयं किसी निकटवर्ती महाविद्यालय/संस्थान से संपर्क करते/सूचित करते हुए, प्रवेश के संबंध में अनुशंसा/संस्तुति दी जाय। ऐसे प्रवेशित छात्र-छात्रा के चिन्हीकरण हेतु प्रवेश पंजीका में पृथक कॉलम में 'मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना अंतर्गत प्रवेश' अवश्य अंकित करेंगे।

संस्थान में छात्रावास उपलब्धता की स्थिति में और प्रवेशित छात्र-छात्रा द्वारा उक्त की मांग किए जाने की दशा में संबंधित छात्र-छात्रा को निशुल्क छात्रावास की भी सुविधा प्रदान की जाएगी।


पारम्परिक विषय/पाठ्यक्रम हेतु 'मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना अंतर्गत प्रवेशित छात्र-छात्रा' (व्यवसायिक/स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम को छोड़कर) जिसकी उम्र 21 वर्ष या उससे कम हो से संस्था में किसी भी कक्षा/पाठ्यक्रम (व्यवसायिक/स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम को छोड़कर) में प्रवेश हेतु पंजीकरण शुल्क (अधिकतम पाँच रूपए) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क (परीक्षा आवेदन शुल्क आदि) नहीं लेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया अधिक से अधिक सुगम तथा मानवीय हो। संबंधित प्राचार्य गण से अपेक्षा है कि या तो स्वयं अथवा जनपद नोडल अधिकारी के माध्यम से इम्पार्वर्ड कमेटी द्वारा संस्तुत जनपद स्तर की अद्यतन सूची जिला परिवीक्षा अधिकारी/संबंधित प्रशासन से अवश्य प्राप्त कर लें। 'मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना अंतर्गत' पात्र अभ्यर्थियों को विभागीय शासनादेश के अनुरूप अन्य अनुमन्य लाभ/छूट/सुविधा आदि के संबंध में यथा समय पृथक से निर्देश दिए जाएंगे।

प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संबंधित संस्थान द्वारा प्रवेशित छात्र-छात्रा के समस्त वांछित विवरणों सहित तथा संस्थान द्वारा दिए गए सुविधा/शुल्क छूट आदि की समस्त सूचना जनपद नोडल अधिकारी के माध्यम से निदेशक उच्च शिक्षा (hedegreeplan@gmail.com) तथा नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना (उच्च शिक्षा), डॉ० दीपक कुमार पाण्डेय को ईमेल (hevatsalya@gmail.com) के माध्यम से अवगत कराएंगे।

उक्त के क्रम में संगत प्रावधानों के अनुरूप संबंधित उच्च शिक्षण संस्थानों में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का क्रियान्वायन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। समस्त सम्मानित प्राचार्य गणों का इस योजना के संवेदी क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत अभिरुचि अपेक्षित है, किसी भी लापरवाही की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्राचार्य का होगा।

संलग्नक: समस्त वांछित शासनादेशों की प्रति।

भवदीय

  
(डा० पी० के० पाठक)

निदेशक (उच्च शिक्षा)

उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल (नैनीताल)  
तददिनांकित

पृ०सं०:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री, उच्च शिक्षा को मा० मंत्री महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा० अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा को मा० अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मा० प्रभारी सचिव, उच्च शिक्षा को मा० प्रभारी सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. डॉ० दीपक कुमार पाण्डेय, नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना (उच्च शिक्षा), क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा देहरादून को आवश्यक समन्वय एवं कार्यवाही हेतु।

(डा० पी० के० पाठक)

निदेशक (उच्च शिक्षा)

उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल (नैनीताल)

प्रेषक

दीपन्द्र कुमार चौधरी,  
प्रभारी सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

आवश्यक | महत्वपूर्ण

सेवा में,

1. कुलपति,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उत्तराखण्ड।
2. निदेशक,  
उच्च शिक्षा निदेशालय,  
हल्द्वानी, नैनीताल।

उच्च शिक्षा अनुभाग- 4

देहरादून : दिनांक 13 अगस्त, 2021

विषय- 01 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2022 की अवधि में कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता/पिता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल-अचल सम्पत्ति एवं उत्तराधिकारियों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गयी सुविधाओं के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या-869/XXIV-C-4/2021-25(09)/2021, दिनांक 12.08.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-143/XVII(2)/2(म0क0)/2021, दिनांक 17 जून, 2021 द्वारा निर्गत किये गये दिशा-निर्देश के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के प्रथम चरण में जारी किया गया है।


2- इस सम्बन्ध में निदेशक, उच्च शिक्षा के पत्रांक डिग्री प्लान/1911/2021-22 दिनांक 13.08.2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तवत मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रभावित बच्चों की परिस्थितियों के आधार पर एवं उनके चिह्नीकरण के उपरान्त उन्हें निःशुल्क उच्च शिक्षा दिये जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही करने का कष्ट करें :-

1. सम्बन्धित प्रभावित पाल्यों को उनके घर के निकट के ही राजकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में ही प्रवेश की निश्चित व्यवस्था की जायेगी।
2. शासकीय व अशासकीय स्नातक/परास्नातक महाविद्यालयों में वात्सल्य योजना के अन्तर्गत मृतकों के पाल्यों को स्नातक/परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में सभी सत्रों हेतु महाविद्यालयी प्रवेश में सभी छात्र निधियों से शुल्क मुक्त किया जाएगा तथा मात्र कोषागार प्रवेश शुल्क (जो अधिकतम 03 से 05 रुपये है) ही लिया जायेगा।
3. महाविद्यालय छात्र निधि (निर्धन छात्र सहायता मद/विकास मद अथवा अन्य छात्र निधियों) से ही लोन लेकर अथवा अन्य क्षेत्रों से सहायता लेकर प्रत्येक पाल्य को प्रति सत्र (स्नातक/परास्नातक) में 01 सेट College Uniform दी जायेगी।
4. राजकीय अनुदानित अशासकीय महाविद्यालय में स्नातक/परास्नातक स्तर पर प्रभावित पाल्यों को प्रवेश में एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 एवं खेल प्रमाण पत्रों की भौति वरीयता (अधिमान अंक की व्यवस्था) प्रवेश दिया जायेगा अथवा संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार पृथक से ऐसे प्रभावित पाल्यों के प्रवेश हेतु सीट सुरक्षित की जायेगी।

5. महाविद्यालय में यह व्यवस्था की जायेगी कि प्रभावित पाल्य हेतु प्रत्येक विषय में महाविद्यालय पुस्तकालय से 02 पुस्तकें सुनिश्चित रूप से प्रत्येक सत्र हेतु निर्गत की जायेगी तथा सिर्फ परीक्षा प्रारम्भ से पूर्व ही पुस्तकें महाविद्यालय में जमा करनी होगी।
6. प्रभावित पाल्यों हेतु महाविद्यालय के छात्रावास में अध्ययन काल (स्नातक/परास्नातक) तक निशुल्क व्यवस्था (रहने व खाने की) की जायेगी।
7. प्रत्येक प्रभावित पाल्य को 01 TAB (अधिकतम रु010000/-) का कम्प्यूटर क्रय व कम्प्यूटर उपकरण मद में बजट प्रावधान किया जायेगा। (पूरे शिक्षण काल में मात्र 01 TAB दिया जा सकता है)।
8. कक्षाओं में पठन-पाठन हेतु प्रत्येक कार्य दिवसों में घर से महाविद्यालय तक सरकारी परिवहन में किराए की पूर्ण छूट दी जायेगी, जिस हेतु महाविद्यालय द्वारा परिवहन विभाग से सम्पर्क कर पास की व्यवस्था की जायेगी। इस सम्बन्ध में परिवहन विभाग को इस हेतु निर्देशित किया जायेगा।
9. ऐसे पाल्यों हेतु विशेष सहायता अनुदान राशि प्रतिवर्ष आवेदन के आधार पर प्रदान की जायेगी। इस हेतु विभागीय बजट प्रावधान किया जायेगा।

उपरोक्त शासनादेश संख्या-143/XVII(2)/2(म0क0)/2021, दिनांक 17 जून, 2021 में उल्लिखित मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए उक्तवत अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


भवदीय,

  
(दीपन्द्र कुमार चौधरी)  
प्रभारी सचिव।

संख्या- (1)/XXIV-C-4/2021-25(09)/2021, तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. उच्च शिक्षा अनुभाग-1, 2 एवं 3 उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से


  
(एम0एम0 सेमवाल)  
अपर सचिव।

पृ0 सं0: 1941 डिग्री प्लान/ 2021-2022  
प्रतिलिपि:

तददिनांकित दि 13/8/2021

- 1 प्राचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Scanned with CamScanner

  
(डा0 पी0 के0 पाठक)  
निदेशक (उच्च शिक्षा)  
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नेनीताल)

प्रेषक

एम0एम0 सेमवाल,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

लताजी  
18/8/21

सेवा में,

1. कुलपति,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उत्तराखण्ड।
2. निदेशक,  
उच्च शिक्षा निदेशालय,  
हल्द्वानी, नैनीताल।

उच्च शिक्षा अनुभाग- 4

देहरादून : दिनांक 12 अगस्त, 2021

विषय- 01 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2022 की अवधि में कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता/पिता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल-अचल सम्पत्ति एवं उत्तराधिकारियों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गयी सुविधाओं के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-143/XVII(2)/2(म0क0)/2021, दिनांक 17 जून, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2022 की अवधि में कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता/पिता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल-अचल सम्पत्ति एवं उत्तराधिकारियों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- उक्तवत मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रभावित बच्चों की परिस्थितियों के आधार पर एवं उनके चिह्नीकरण के उपरान्त उन्हें निःशुल्क उच्च शिक्षा दिये जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जानी है:-

1. उपरोक्त शासनादेश संख्या-143/XVII(2)/2(म0क0)/2021, दिनांक 17 जून, 2021 में उल्लिखित परिस्थितियों के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य के प्रभावित 18 से 21 वर्ष तक के बच्चे, जिनकी सूचना (नाम अथवा फोन नम्बर) सम्बन्धित जिलाधिकारी की सूची में धारित है, उनसे सम्पर्क किये जाने हेतु प्रत्येक जनपद में उच्च शिक्षा विभाग से एक-एक नोडल अधिकारी नामित किया जाय।
2. प्रत्येक नोडल अधिकारी, प्रभावित 18 से 21 वर्ष तक के बच्चों के संदर्भ में जिला बाल संरक्षण इकाई (District Child Protection Unit) द्वारा बनायी गयी जिला स्तर पर उपलब्ध सूची के अनुसार ही उक्त योजना से लाभान्वित होने वाले समस्त प्रभावित 18 से 21 वर्ष की कुल संख्या ज्ञात करेंगे।
3. नोडल अधिकारी, प्रभावित सभी बच्चों से दूरभाष पर सम्पर्क कर यह भी ज्ञात करेंगे कि वे राजकीय विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों एवं अशासकीय

महाविद्यालयों की किन-किन कक्षाओं अध्ययनरत हैं ? अथवा आगामी किन कक्षाओं में प्रवेश लेना चाहते हैं ? उक्त के अतिरिक्त यदि वे हाल ही में इण्टरमीडिएट की कक्षा उत्तीर्ण कर राजकीय विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों एवं अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, तो उनकी संख्या भी ज्ञात करेंगे।

4. उपरोक्तानुसार समस्त आँकड़े एकत्र करने के उपरान्त निदेशक, उच्च शिक्षा, समस्त कुलपति, राजकीय विश्वविद्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावित बच्चों को उच्च शिक्षा की ओर से दी जाने वाली अन्य सुविधाओं के संदर्भ में अपने सुझाव 03 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध करायेंगे।

उपरोक्त शासनादेश संख्या-143/XVII(2)/2(म0क0)/2021, दिनांक 17 जून, 2021 में उल्लिखित मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए उक्तवत अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,




(एम0एम0 सेमवाल)

अपर सचिव।

संख्या-           (1)/XXIV-C-4/2021-25(09)/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
5. अनु सचिव/अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग-1 एवं 3 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित कुलपतियों को ई-मेल इत्यादि के माध्यम से अपने स्तर से भी सूचित करने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाईल।



(एम0एम0 सेमवाल)

अपर सचिव।

प्रेषक,

ओम प्रकाश  
मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शारान।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: 17 जून, 2021

विषय:- 01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता/पिता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल-अचल सम्पत्ति एवं उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-136 / XVII-(2) / 2-(म0क0) / 2021 दिनांक 11.06.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता/पिता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल-अचल सम्पत्ति एवं उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना संचालित की गयी है। उक्त योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं:-

1. परिस्थितियां:-

- (i)- 01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से जैविक/दत्तक ग्राही माता-पिता (दोनों) की मृत्यु हो जाना।
- (ii)- 01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता/पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाना तथा दूसरे का पूर्व में देहान्त हो जाना।
- (iii)- 01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड महामारी एवं अन्य बीमारियों से परिवार के कमाऊ सदस्य (माता अथवा पिता) में से किसी एक की मृत्यु हो जाना।
- (iv)- बच्चे के माता-पिता की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है व उसके संरक्षक की 01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड महामारी एवं अन्य बीमारियों से मृत्यु हो जाना।

बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, और उत्तराधिकारों/विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण), अधिनियम

2015, गार्जियन एण्ड वार्डस् एक्ट, 1890, हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षण अधिनियम, 1956, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एवं एच.आई.वी. एडस की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, 2017 में आवश्यक प्राविधान किये गये हैं।

01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड महामारी एवं अन्य बीमारियों से पिता/माता/संरक्षक की मृत्यु के कारण काफी संख्या में बच्चों की देखभाल, पुर्नवास एवं उनकी सम्पत्ति, उत्तराधिकारों/विधिक अधिकारों के संरक्षण के संकट हेतु प्राथमिकता पर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

## 2-प्रभावित बच्चों का चिन्हीकरण-

प्रदेश की समस्त तहसीलों के उपजिलाधिकारी इस कार्य हेतु उत्तरदायी होंगे, जो अपने अधीन कार्यरत नायब तहसीलदार/प्रभारी नायब तहसीलदार को इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित करेंगे। नोडल अधिकारी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में पंचायतीराज संस्थाओं, पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, ऑगनबाडी कार्यकर्त्री, शिक्षकगण, ए.एन.एम./आशा कार्यकर्त्री, स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाएं, चाईल्ड हेल्पलाईन 1098, ग्राम एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों आदि के सहयोग से 01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में ऐसे बच्चों का चिन्हीकरण प्रस्तर सं0-1 की परिस्थितियों के तहत सुनिश्चित किया जायेगा।

नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे बच्चों का चिन्हीकरण करने के उपरान्त उन्हें शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त सहायताओं हेतु आवेदन एवं उससे सम्बन्धित दस्तावेजों को तैयार कराना स्वयं सुनिश्चित करेंगे। प्रभावित बच्चों के चिन्हीकरण के उपरान्त ऐसे बच्चों की समस्त सूचना तत्काल नोडल अधिकारी द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई (District Child Protection Unit) को उपलब्ध करायी जायेगी व समस्त बच्चों का रिकार्ड तहसील स्तर पर अद्यतन रखा जायेगा।

## 3-जिला बाल संरक्षण इकाई (District Child Protection Unit)-

प्रत्येक जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के मार्ग निर्देशन में संचालित जिला बाल संरक्षण इकाई बच्चों के चिन्हीकरण के उपरान्त समस्त कार्यवाही हेतु नोडल एजेन्सी होगी व उसके अन्तर्गत जिला प्रोवेशन अधिकारी नामित अधिकारी होंगे। बच्चों के चिन्हीकरण हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी (नायब तहसीलदार/प्रभारी नायब तहसीलदार) से प्रभावित बच्चों की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त इकाई द्वारा 24 घण्टों के अन्दर ऐसे बच्चों से वर्चुअल/व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क सुनिश्चित किया जायेगा।

(i)-इकाई द्वारा बच्चों की वर्तमान रिथति के सम्बन्ध में प्रारम्भिक ऑकलन किया जाएगा।



(ii)-इकाई द्वारा किए जाने वाले प्रारम्भिक ऑकलन में निम्न तथ्यों को संज्ञान में लिया जाएगा -

- (ii)(a)-माता/पिता अथवा संरक्षक की मृत्यु का कारण।
  - (ii)(b)-परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति।
  - (ii)(c)-परिवार की आय का स्रोत।
  - (ii)(d)-प्रभावित बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी एवं शिक्षा का स्तर।
  - (ii)(e)-परिवार की चल-अचल सम्पत्ति, बैंक खाते का विवरण, बीमा एवं अन्य दावे।
  - (ii)(f)-ऐसे बच्चों अथवा पारिवारिक सदस्यों की कोई विशिष्ट स्थिति यथा दिव्यांगता आदि।
  - (ii)(g)-प्रभावित बच्चों के तात्कालिक देखभालकर्ता (यदि कोई हो) के सम्वन्ध में विस्तारित परिवार के अन्य सदस्यों के विचार।
  - (ii)(h)-प्रभावित बच्चों के तात्कालिक देखभालकर्ता का विवरण यथा नाम, आयु, पता, सम्पर्क सूत्र, व्यवसाय एवं प्रभावित बच्चों से सम्वन्ध आदि।
  - (ii)(i)-प्रभावित बच्चों की देख-रेख एवं संरक्षण के सम्वन्ध में इकाई की टिप्पणी/राय।
- (iii)-इकाई द्वारा ऐसे प्रभावित बच्चों की सूचना प्राप्त होने के 48 घण्टों के भीतर बच्चों का विवरण राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पोर्टल-बाल स्वराज-पर अपलोड किया जाएगा।
- (iv)-इकाई द्वारा ऑकलनोपरान्त जन्म से 18 वर्ष से कम तक के प्रभावित बच्चों के सम्वन्ध में तैयार की गयी प्रारम्भिक ऑकलन रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को उपलब्ध कराई जाएगी।
- (v)- प्रारम्भिक ऑकलन रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को उपलब्ध कराने के पश्चात् यथासम्भव 24 घंटे के अन्दर प्रभावित बच्चे को समिति के समक्ष वर्चुअल/व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
- (vi)- बाल कल्याण समिति द्वारा ऐसे बच्चों के प्रकरणों में किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण), अधिनियम 2015 के अन्तर्गत संज्ञान लेकर नियमानुसार जाँच की जाएगी।
- (vii)- बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चों की स्थिति एवं मनोदशा को दृष्टिगत रखते हुए यथासंभव बच्चों को उसके परिवार (विस्तारित परिवार सहित) में ही रखे जाने पर विचार किया जाएगा, परन्तु परिवार में बच्चों की देख-रेख के लिए अनुकूल वातावरण न होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।
- (viii)-बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चों की देख-रेख हेतु आवश्यकतानुसार उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) की नियुक्ति की जाएगी तथा बच्चे को Fit Person के संरक्षण में प्रदान किया जायेगा।

- (ix)- इकाई द्वारा बाल कल्याण समिति की जॉचोपरान्तु किए गए आदेशानुसार बच्चों की समुचित देख-रेख और संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
- (x)-इकाई द्वारा समिति के आदेशानुसार तात्कालिक देखभाल हेतु बच्चों को राजकीय/पंजीकृत बाल देख-रेख संस्थान में रखा जाएगा।
- (xi)-जिन प्रकरणों में बच्चों की देखभाल पारिवारिक स्तर पर हो सकती है, ऐसे प्रकरणों में बच्चों को संस्थागत देखभाल में नहीं दिया जाएगा।
- (xii)-इकाई द्वारा पारिवारिक देखभाल से वंचित दत्तक ग्रहण योग्य बच्चों को निर्धारित समयावधि में "दत्तक ग्रहण दिए जाने हेतु मुक्त" घोषित कराया जाएगा तथा समस्त अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।
- (xiii)-इकाई द्वारा 18 वर्ष से अधिक व 21 वर्ष तक की उम्र के प्रभावित बच्चों के सम्बन्ध में तैयार की गई प्रारम्भिक ऑकलन रिपोर्ट, जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी व प्रस्तर 6.1.1 में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उनकी स्थिति व मनोदशा को दृष्टिगत रखते हुए उनकी देख-रेख आदि के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिया जाएगा।
- (xiv)-इकाई द्वारा ऐसे बच्चों के सम्बन्ध में पाक्षिक समीक्षा करते हुए उनकी कुशलता सुनिश्चित की जायेगी व जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई के स्तर पर प्रत्येक माह समीक्षा की जायेगी।
- (xv)-प्रभावित बच्चों की निजता व गोपनीयता को सम्बन्धित तहसील व जनपद स्तर पर संरक्षित रखा जायेगा तथा इकाई द्वारा बच्चों को आपातकालीन परिस्थितियों में सम्पर्क करने हेतु समस्त आवश्यक दूरभाष नम्बर यथा चाइल्ड लाईन, बाल कल्याण समिति, जिला प्रोबेशन अधिकारी आदि, उनके अभिभावकों को उपलब्ध कराये जायेंगे।

#### 4- संस्थानिक देखभाल-

ऐसे लाभार्थी जिनकी देखभाल करने हेतु कोई नहीं है अथवा कोई भी संरक्षक उनकी देख-रेख करने का इच्छुक नहीं है तो ऐसे लाभार्थी के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा सहायता आदि हेतु बाल कल्याण समिति द्वारा उसे "देख-रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद श्रेणी का बच्चा" घोषित कर प्रदेश में संचालित शासकीय/पंजीकृत बाल देख-रेख संस्था में प्रवेश सुनिश्चित करवाया जाएगा। ऐसे लाभार्थी को कोई मासिक आर्थिक सहायता अनुमन्य नहीं होगी, किन्तु वर्णित अन्य समस्त सहायता प्रदान की जाएगी।

#### 5- बच्चों की पैतृक सम्पत्ति, उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु अपेक्षित कार्यवाही-

- (i)-इकाई द्वारा बच्चों की पैतृक सम्पत्ति, उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों को संरक्षित रखने में अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराना भी शामिल होगा।

- (ii)-इकाई द्वारा बच्चों की परिस्थितियों के अनुरूप किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण), अधिनियम 2015, गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट, 1890, हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षण अधिनियम, 1956 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत संरक्षक नियुक्त करने की कार्यवाही सम्पादित कराई जाएगी। इस प्रयोजन हेतु इकाई द्वारा देखभालकर्ता की ओर से सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी के समक्ष 15 दिन के भीतर आवेदन कराया जायेगा।
- (iii)-नोडल अधिकारी (नायब तहसीलदार/प्रभारी नायब तहसीलदार) द्वारा बच्चों की सम्पत्ति, उत्तराधिकार एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों यथा माता/पिता/संरक्षक का मृत्यु प्रमाण पत्र, खतौनी, बच्चों का व्यक्तिगत पहचान सम्बन्धी प्रमाण पत्र/दस्तावेज आदि तैयार कराना एवं सहायता हेतु आवेदन कराना स्वयं सुनिश्चित किया जाएगा। सम्बन्धित उपजिलाधिकारी इसके अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होंगे।
- (iv)-इकाई द्वारा बच्चों का उत्तराधिकार संरक्षित करने के लिए सक्षम न्यायालय के माध्यम से उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी कराने की कार्यवाही सम्पादित कराई जाएगी।
- (v)-बच्चों की पैतृक सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे जो लाभार्थी की समस्त पैतृक (चल एवं अचल) सम्पत्ति का विवरण संरक्षित रखेंगे व मासिक एवं वार्षिक समीक्षा करते हुए सम्पत्ति की सुरक्षा (विक्रय/बन्धक/अतिक्रमण से बचाव) का सतत अनुश्रवण करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष माह जनवरी एवं जुलाई के प्रथम पक्ष में लाभार्थी की सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन सम्बन्धित तहसील से कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

6- प्रस्तर-1 में वर्णित परिस्थितियों से प्रभावित बच्चों को उनके उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी होने पर निम्नांकित सहायता प्रदान की जाएगी-

(i)- आर्थिक सहायता-

- (i)(a)-आर्थिक सहायता हेतु चयनित लाभार्थी को 21 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह रूपये 3,000/- (रूपये तीन हजार मात्र) सहायता राशि/भरण-पोषण भत्ता दी जाएगी। यदि लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम है तो सहायता राशि उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person)/संरक्षक व बच्चे के संयुक्त खाते में D.B.T के माध्यम से जमा की जाएगी तथा इस बैंक खाते में अन्य किसी प्रकार का लेन-देन नहीं किया जाएगा व इस धनराशि का उपयोग लाभार्थी के भरण-पोषण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त लाभार्थी के व्यक्तिगत खाते में D.B.T के माध्यम से धनराशि प्रदान की जाएगी। इस हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी,

जिला पूर्ति अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य होंगे तथा जिला प्रोवेशन अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। समिति द्वारा लाभार्थी के चयन एवं प्रदत्त धनराशि के निर्दिष्ट उपयोग को सुनिश्चित किया जाएगा।

(i)(b)-ऐसे बच्चे जिनका एक ही अभिभावक (माता/पिता) जीवित हो तथा वह सरकारी सेवा में हो अथवा पुरानी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहा हो अथवा आयकर सीमा में हो, तो वह आर्थिक सहायता के पात्र नहीं होंगे।

7- उक्त योजना से आच्छादित बच्चों को प्रस्तर-6 में वर्णित समस्त लाभ दिनांक 01 जुलाई 2021 से 21 वर्ष की आयु तक अनुमन्य होगा।

#### 8- आवेदन प्रक्रिया-

आर्थिक सहायता हेतु समस्त आवेदन संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट-क) पर आवश्यक दस्तावेजों सहित सम्बन्धित जनपद में जिला प्रोवेशन अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑनलाईन एवं ऑफ लाईन दोनों प्रकार से प्राप्त किये किए जायेंगे व आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क होगी। आवेदन करवाने का दायित्व सम्बन्धित तहसील के नोडल अधिकारी (नायब तहसीलदार/प्रभारी नायब तहसीलदार) का होगा।

अतः उक्त दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

सलमनक-यथोक्त।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)  
मुख्य सचिव।

पू0संख्या: 143 / XVII(2) / 2(म0क0) / 2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का तत्काल अनुपालन किया जाए तथा योजना का मासिक अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाए।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाँऊ।
5. निजी सचिव, सचिव मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, सचिव श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गार्डफाईल।

आज्ञा से  
(हरि चन्द्र सेगवाल)  
सचिव।

कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से पिता/माता/संरक्षक की मृत्यु से प्रभावित बच्चों को आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र

(शासनादेश संख्या:-136/XVII(2)/02(मोक0)/2021 दिनांक 11 जून, 2021 के अन्तर्गत)

1. बच्चे का नाम.....
2. जन्मतिथि एवं आयु (जन्म प्रमाण पत्र अथवा आयु सम्बन्धी अन्य दस्तावेज की छायाप्रति).....
3. धर्म.....
4. जाति.....
5. आधार कार्ड न0 (यदि हो तो).....
6. स्थायी पता(स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
7. वर्तमान पता.....
8. शैक्षिक योग्यता.....कक्षा.....
9. विद्यालय/महाविद्यालय का नाम.....
10. बच्चा स्वरथ्य है अथवा दिव्यांग.....
11. पिता का नाम.....
  - A) जन्मतिथि/आयु.....
  - B) जीवित/मृतक.....
  - C) यदि मृतक तो मृत्यु का दिनांक.....
  - D) मृत्यु का कारण.....
  - E) मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें.....
12. पिता का व्यवसाय.....
13. पिता की वार्षिक आय (समस्त स्रोतों से).....
14. पिता का आधार कार्ड न0.....
15. माता का नाम.....
  - A) जन्मतिथि/आयु.....
  - B) जीवित/मृतक.....
  - C) यदि मृतक तो मृत्यु का दिनांक.....
  - D) मृत्यु का कारण.....
  - E) मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें.....
16. माता का व्यवसाय.....
17. माता की वार्षिक आय (समस्त स्रोतों से).....
18. माता का आधार कार्ड न0.....
19. वर्तमान में बच्चा किसके साथ रह रहा है.....
20. बच्चे से उसका सम्बन्ध व पूर्ण पता मोबाइल न0 सहित (स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें).....

## संरक्षक का विवरण

21. यदि बच्चे के माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है तो संरक्षक का नाम.....  
 .....
22. बच्चे से सम्बन्ध .....
23. आयु.....
24. लिंग.....
25. संरक्षक का आधार कार्ड नं०.....
26. संरक्षक का व्यवसाय.....
27. संरक्षक का पता गोवाइल नं० सहित (स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें).....  
 .....

## बैंक विवरण

28. बच्चे के माता/पिता/संरक्षक के साथ राष्ट्रीकृत बैंक खाता सं०.....
29. बैंक का नाम..... IFSC कोड.....
30. बैंक का पता (बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न करें).....

## सम्पत्ति का विवरण

31. बच्चे के माता/पिता के नाम अचल सम्पत्ति का विवरण

क्र.सं	सम्पत्ति का प्रकार (कृषि, आवासीय, व्यवसायिक)	क्षेत्रफल	सम्पत्ति जहां स्थित है उसका पूर्ण पता	सम्पत्ति किसके नाम है।	बच्चे से उसका सम्बन्ध

32. चल सम्पत्ति का विवरण

क्र.सं	सम्पत्ति का प्रकार (वाहन, बैंक खाता आदि)	सम्पत्ति का विवरण (यथा बैंक खाते का विवरण, वाहन का प्रकार व रजिस्ट्रेशन नम्बर आदि)	चल सम्पत्ति का मूल्य	चल सम्पत्ति किसके नाम है।	बच्चे से उसका सम्बन्ध

दिनांक.....

आवेदक का नाम.....

पता.....

मो०न०.....